एशिया के लिए बासल II की चुनौतियां और निहितार्थ*

- डॉ. या.वे.रेड्डी

एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए तथा एशियाई संदर्भ में बासल II पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करने हेतु मैं आयोजकों का आभारी हूं। मुझे हैदराबाद शहर से विशेष लगाव है। मैंने इस शहर में ही 1960 में रिसर्च स्कॉलर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। इसके बाद 1964 तक उस्मानिया विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य किया और बाद में 1976-77 में हैदराबाद का कलैक्टर और जिला मजिस्ट्रेट रहा। पुनः 1980 के बाद के दशक के अधिकांश भाग में मैंने आंध्र प्रदेश सरकार के वित्त और आयोजना विभाग में सचिव के रूप में यहां कार्य किया। इस प्रकार हैदराबादी के रूप में मैं सारे विश्व से आये विशिष्ट प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूं।

बासल I : भारत में स्वैच्छिकता तथा क्रमिकता

मैं 1988 में शुरू की गई पूंजी पर्याप्तता के लिए बासल I के ढांचे से अपनी बात शुरू करूंगा। बासल I का ढांचा अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों के लिए पूंजी के निम्नतम स्तरों को स्थापित करने के लिए बनाया गया था। तथापि इसकी सरलता ने सारे विश्व में 100 से अधिक देशों को न केवल अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों तक सीमित करके, बल्कि संपूर्ण बैंकिंग घटक द्वारा न केवल बासल-I के ढांचे को अपनाने, वरन् इसे लागू करने के लिए भी प्रेरित किया। इस प्रकार अनेक देशों द्वारा बासल-I के ढांचे को स्वैच्छिक रूप से अपनाने से यह वस्तुतः वैश्विक रूप से स्वीकृत मानक बन गया है। हालांकि सभी देश इसके सभी पहलुओं का पूर्णतः अनुपालन नहीं कर रहे हैं ।

क्रमिक रूप से चरणबद्ध रूप में बढ़ने की अपनी सोच को अपनाते हुए भारत में हमने 1992-93 से बासल-I के ढांचे को लागू कर दिया था। जिसके अनुसार तीन वर्ष की अवधि के दौरान विदेशों में स्थित शाखाओं वाले बैंकों को इसे मार्च 1994 के अंत तक तथा आम बैंकों को मार्च 1996 के अंत तक इसका पूर्णतः अनुपालन करना अपेक्षित था। इसके अलावा, भारत ने बासल-I के 1996 के संशोधन को भी अपनाया, जिससे बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे प्रारंभ में निर्धारित करते हुए विभिन्न पूंजी प्रभारों के लिए 2000 से 2002 की अवधि के बीच इन जोखिमों के लिए पूंजी बनाए रखें। जून 2004 में इनका स्थान बासल-I ढांचे के अंतर्गत यथा अपेक्षित पूंजी प्रभारों ने ले लिया जो मार्च 2005 से लागू हो गए। हम बासल I की अपेक्षा से एक कदम और आगे चले गए हैं और भारत में कार्यरत बैंकों से यह अपेक्षा की है कि वे मार्च 2006 से 'बिक्री के लिए उपलब्ध' संविभाग पर भी बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार बनाए रखें। वैश्विक मानदंडों के अनुरूप अपने विनियमनों को बनाए रखने की हमारी क्रमिक चरणबद्धता की नीति का अनुसरण करने में अभी भी हमें पर्याप्त उपयुक्तता लगती है।

बासल-II : लाभ और प्रमुख मुद्दे

बासल-II की जटिलता उपलब्ध अनेक विकल्पों से पैदा होती है, और ये विकल्प भलीभांति ज्ञात हैं। परिणामस्वरूप, अनेक देश, जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से बासल-I को अपनाया था, वे भी इन मुद्दों को बड़ी सावधानीपूर्वक देखते हैं। बासल-I की तुलना में, यह संशोधित ढांचा जिसे 'बासल-II' कहा गया है, अत्यधिक जटिल माना जाता है, जो इसके विनियामकों और विनियामित समुदाय दोनों के लिए इसको समझना और इसे लागू करना एक चुनौती बना देता है।

समय से पहले अपनाने के खतरे

चूंकि संशोधित ढांचा विश्व भर के बैंकों और बैंकिंग प्रणाली के लिए विकल्प प्रदान करने हेतु बनाया गया है, अतः बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) यह मानती है कि निकट भविष्य में इसको अपनाना सभी गैर-जी-10 देशों के पर्यवेक्षी प्राधिकारियों के लिए प्रथम प्राथमिकता नहीं हो सकती जिनके अनुसार यह जरूरी है कि उनके पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाया जाए। प्रत्येक राष्ट्रीय पर्यवेक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संशोधित ढांचे को लागू करने के लिए इसकी समय सारणी और दृष्टिकोण को बनाते समय अपनी घरेलू बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में संशोधित ढांचे में लाभों पर सावधानीपूर्वक विचार करे।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यपालक मंडल के विचार यह संकेत करते हैं कि उन देशों में जिनकी क्षमता सीमित है, बासल-II को समय से

---

* एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 39वीं वार्षिक बैठक के एक भाग के रूप में '' एशिया के लिए बासल II की चुनौतियां और निहितार्थ'' विषय पर हैदराबाद में 3 मई 2006 को आयोजित सेमिनार में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, डॉ. या.वे.रेड्डी की टिप्पणियां । वे उपलब्ध कराई गई सहायता के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्वश्री के.दामोदरन, महाप्रबंधक तथा आनंद सिन्हा, कार्यपालक निदेशक के आभारी हैं।

पहले अपनाने से संसाधनों को अधिक आवश्यक प्राथमिकताओं के क्षेत्र से अनुपयुक्त रूप से हटा सकता है जो अंततः पर्यवेक्षण को सशक्त बनाने के बजाए कमजोर कर देगा। वे इस बात से सहमत हैं कि ऐसे देशों को पहले अपनी वित्तीय प्रणालियों को, जिनमें संस्थाएं, बाजार, बुनियादी संरचना शामिल हैं, सुदृढ़ करने पर तथा बासल के बुनियादी सिद्धांतों के अनुपालन के बेहतर स्तरों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमें सचेत किया है कि मुद्रा कोष के स्टाफ को इस धारणा को बनाने से बचना चाहिए कि उन देशों की आलोचना की जाएगी जो बासल II के ढांचे को अपनाने की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्टाफ से अनुरोध किया है कि वे पूर्णतः सावधान रहें जब उनसे देशों की बासल-II की ओर बढ़ने की तत्परता का आकलन करने को कहा जाए और वे स्पष्टतः यह संकेत करें कि इतनी जल्दी और इतनी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ने के जोखिम हैं।

संपूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र में भिन्न-भिन्न कार्यान्वयन योजनाएं

जहां तक एशिया प्रशांत क्षेत्र का संबंध है, बासल-II के संबंध में अनुपालन योजनाओं को मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है - पहला, जहां प्रथम अनुपालन के समय सरलतम दृष्टिकोण और सर्वोत्तम उन्नत दृष्टिकोण उपलब्ध हैं (आस्ट्रेलिया, कोरिया, सिंगापुर, न्यूज़ीलैंड); दूसरा, जहां प्रारंभ में सरलतम दृष्टिकोण उपलब्ध है और उसके एक या दो साल बाद सर्वोत्तम उन्नत दृष्टिकोण उपलब्ध हैं (हाँगकांग, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड); और तीसरा, जहां प्रारंभ में सरलतम दृष्टिकोण की अनुमति थी और सर्वोत्तम उन्नत दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति दिए जाने की तारीख की घोषणा अभी भी की जानी बाकी है, या दो साल से अधिक समय बाद उपलब्ध है (चीन, भारत, मलेशिया, तथा फिलीपीन)। इसके अलावा, अपने-अपने बैंकिंग क्षेत्रों में विदेशी बैंकों के अंश की सीमा तक उपर्युक्त मोटे दायरों के विकल्प को जोड़कर देखा जा सकता है।

यह देखा गया है कि बैंकिंग प्रणालियां जहां बैंकिंग आस्तियों में विदेशी बैंकों का पर्याप्त अंश है, जैसा कि सिंगापुर, हांगकांग में, उन क्षेत्रों से जिनमें विदेशी बैंक का अंश पर्याप्त उल्लेखनीय नहीं है, जैसे भारत में, आगे बढ़कर उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने की इच्छा दर्शाते हैं। ऐसी ही प्रवृत्ति उन देशों के संबंध में देखी जा सकती है, जो बासल-II की ओर बढ़ने से पहले काफी समय तक बासल-I में रहे हैं, जैसे - चीन।

भारत में अनुपालन

भारत में वित्तीय क्षेत्र के संबंध में नीति संबंधी दृष्टिकोण यह है कि अंतिम लक्ष्य सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए और इस प्रक्रिया में, जोर क्रमिक रूप से अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों के अनुरूप बनाने का होना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, बासल-II के लिए भी, वर्तमान में भारत में सभी वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे 31 मार्च 2007 से बासल-II का अनुपालन करना शुरू कर दें । हालांकि तैयारी की स्थिति के अंतिम संकेतों को देखते हुए इस तारीख को थोड़ा आगे बढ़ाने से इंकार नहीं किया जा सकता। बासल-II के कार्यान्वयन पर विचार करते हुए, बैंकिंग प्रणाली की संवेदनशीलता और विकास के विभिन्न स्तरों में अंतरों पर विशेष ध्यान दिया गया और यह निर्णय किया गया कि वे ऋण जोखिम के लिए मानक दृष्टिकोण को तथा परिचालनगत जोखिम के लिए संकेतक दृष्टिकोण को अपनाएंगे। बैंकों तथा पर्यवेक्षकों दोनों द्वारा पर्याप्त दक्षताएं विकसित कर लिए जाने के बाद कुछ बैंकों को आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) दृष्टिकोण की ओर जाने की अनुमति दी जा सकती है।

वित्तीय क्षेत्र में सभी परिवर्तनों के संबंध में सामान्य परंपरा के अनुसार, तथा विशेषकर बासल-II की ओर सुचारू रूप से बढ़ने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से बासल-II की रूपरेखा बनाने तथा उसे लागू करने - इन दोनों के लिए एक परामर्शकारी तथा सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है।

वर्तमान संकेतों के आधार पर, बासल-II के अनुपालन के लिए इस तथ्य के कारण, कि बासल-I में परिचालनगत जोखिम को शामिल नहीं किया गया था, तथा बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का अभी हाल ही तक निर्धारण नहीं किया गया था, भारत में बैंकों के लिए और अधिक पूंजी की जरूरत होगी। इस प्रणाली में विद्यमान मार्जिन पूंजी (कुशन) जो वर्तमान में जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी अनुपात 12 प्रतिशत के ऊपर है, कुछ राहत प्रदान करता है, परंतु बैंक बासल-II के अंतर्गत पूंजी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न साधनों का पता लगा रहे हैं। रिज़र्व बैंक ने अपनी ओर से नीति संबंधी दिशानिदेश जारी किए हैं जो बैंकों को विभिन्न लिखत जारी करने में समर्थ बनाते हैं जैसे नवोन्मेषी चिरस्थायी ऋण लिखतें, चिरस्थायी गैर आवर्ती अधिमान शेयर, उन्मोचनीय आवर्ती अधिमान शेयर तथा मिश्रित ऋण लिखतें ताकि वे अपनी पूंजी जुटाने के विकल्पों को बढ़ा सकें।

भारत में कार्यान्वयन के लिए तीहरे दृष्टिकोण

भारत में 85 वाणिज्यिक बैंक हैं, जो वित्तीय क्षेत्र की कुल आस्तियों का 78 प्रतिशत भाग बनाते हैं, जबकि 3000 से अधिक सहकारी बैंक हैं, जो 9 प्रतिशत भाग बनाते हैं तथा 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जो 3 प्रतिशत भाग बनाते हैं। इन संस्थाओं के आकार, इनके परिचालनों की जटिलताओं, वित्तीय क्षेत्र के लिए इनकी प्रासंगिकता, बृहत्तर वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करने की आवश्यकता तथा दक्ष सुपुर्दगी प्रणाली तंत्र होने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इन संस्थाओं पर प्रयोज्य पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंडों की अनिवार्यताओं को विभिन्न स्तरों पर रखा गया है। कोई यह कह सकता है कि हम पूंजी पर्याप्तता नियमों के संबंध में तीहरे मानदंड अपना रहे हैं। सभी बैंकों के जोखिम को खपाने की अलग-अलग

क्षमता, तथा उनकी कारोबारी सोच को देखते हुए यह संभव हैं कि बैंक अपने-अपने दृष्टिकोण का चयन स्वयं करेंगे जो इसके परिणामस्वरूप संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली पर स्थिरीकरण का प्रभाव पैदा करेंगे।

पहले मार्ग पर, वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे बासल-I के अनुसार ऋण और बाजार जोखिमों के लिए पूंजी बनाए रखें। दूसरे मार्ग पर सहकारी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे बासल-I के ढांचे के अनुसार ऋण जोखिम के लिए पूंजी बनाए रखें तथा बाजार जोखिमों के लिए प्रतिनिधियों के माध्यम से पूंजी बनाए रखें। तीसरे मार्ग पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी की अपेक्षा है जो किसी तरह से, बासल-I के ढांचे के अनुसार नहीं है। इसके फलस्वरूप हमारे पास बासल-I के पूरे ढांचे के अनुरूप व्यवस्थागत महत्ता का प्रमुख घटक है, जबकि बासल-I के ढांचे पर एक छोटा-सा घटक आंशिक रूप से विद्यमान है और एक और भी छोटा घटक है जो गैर बासल ढांचे का है।

ये ही कारण हैं कि कम से कम प्रारंभिक चरण में जब मार्च 2007 में वाणिज्यिक बैंकों ने बासल-II ढांचे का अनुपालन भी शुरू कर दिया होगा, उसके बाद भी भारतीय बैंकिंग घटक में इसी प्रकार की विविधता देखी जा सकती है। मार्च 2007 के बाद के परिदृश्य में, हम बासल-II को देख सकते हैं। बासल-I और गैर बासल ढांचे वाली संस्थाएं भारतीय बैंकिंग प्रणाली में समानांतर रूप से परिचालन करते हुए पाते हैं। यहां यह ध्यान देना उपयोगी होगा कि कुछ ऐसा ही विकल्प अमरीका में भी चलता रहा है। जहां कम से कम बासल-II और बासल-I ढांचे पर आधारित बैंकिंग समानांतर रूप से चलती हुई देखी जा सकती है। इसी प्रकार बासल-II ढांचे वाली संस्थाओं में भी यह संभव है कि बैंक इन तीनों प्रमुख जोखिमों के लिए पूंजीगत अपेक्षाओं की गणना करने के लिए उपलब्ध बहु विकल्पों के विभिन्न समूहों को लागू कर रहे हों। इसके फलस्वरूप हम ढांचों के एक व्यापक परिदृश्य के एक भाग के रूप में बासल-II के अनुपालन को देख सकते हैं जिनके अंदर रहते हुए विभिन्न श्रेणियों के बीच क्रमिक रूप से गुणात्मक उन्नयन हो सकता है।

यह संभव है कि बासल-II का अनुपालन हो जाने पर कुछ बैंक ऋण जोखिम के लिए आइआरबी दृष्टिकोण को अपना लें, जबकि उसी क्षेत्र में कुछ अन्य बैंक मानक दृष्टिकोण को अपना सकते हैं। चूंकि मानक दृष्टिकोण की तुलना में आइआरबी दृष्टिकोण जोखिम के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, जोखिम की मात्रा में थोड़े-से भी परिवर्तन के फलस्वरूप आईआरबी दृष्टिकोण को अपनाने वाले बैंकों के लिए भारी अतिरिक्त पूंजीगत अपेक्षाओं की जरूरत पड़ सकती है जो ऐसे बैंकों को उच्च जोखिम वाले (निवेशों / ऋणों) को लेने में हतोत्साहित कर सकते हैं। अतः व्यवस्थागत सर्वांगी दृष्टि से, बैंक मानक दृष्टिकोण अपनाते हैं और इसलिए अपने संविभाग में उच्च जोखिम वाली आस्तियों का भारी संकेंद्रणन कर लेते हैं जो आर्थिक मंदी (गिरावट) के दिनों में इन जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील बन जाते हैं। बासल II के अनुपालन पर निर्णय लेते समय इन मुद्दों पर पर्याप्त रूप से ध्यान देने की जरूरत होगी।

विकासशील देशों में अनुपालनगत चुनौतियां

हालांकि अनेक स्थानों पर यह कहा गया है कि 100 से अधिक देशों ने बासल-I को लागू कर दिया है फिर भी, वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) के एक भाग के रूप में 71 देशों में किए गए आकलनों ने यह दर्शाया है कि जोखिम प्रबंधन, समेकित पर्यवेक्षण, तथा न्यून पूंजी वाली संस्थाओं के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई में अभी भी कई खामियां हैं, जो सुदृढ़ पर्यवेक्षण तथा बासल-II के यथोचित अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। जहां पर्यवेक्षी प्रणाली जो बासल के मूल सिद्धांत नं.6, जिसमें बासल-I के पूंजी पर्याप्तता को मानक के रूप में शामिल किया गया है, के अनुरूप पूर्णतः या अधिकांशतः लागू की गई है, जो बासल-II की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक मानी गई है। ये आकलन यह बताते हैं कि इन देशों में से लगभग 37 देशों ने इस बुनियादी सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया है और बाकी देश अनुपालन के विभिन्न चरणों में हैं। अनुपालन के इस स्तर को देखते हुए, बासल-II के ढांचे को लागू करने में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्वारा झेली जा सकने वाली चुनौतियां, निरुत्साहित कर देनेवाली होंगी।

जैसा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्वीकार किया गया है, उसके पास विभिन्न क्षेत्रों में बासल-II के अनुपालन का आकलन करने तथा उसमें सहायता करने की पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं है। वित्तीय विनियमन की जटिलताओं तथा बासल-II ढांचे की ओर बढ़ी हुई जटिलताओं को देखते हुए जिन्हें विशेष रूप से घरेलू अर्थव्यवस्थाओं तथा घरेलू, बैंकिंग प्रणालियों के अनुरूप ढालना होगा, विनियामकों द्वारा इस बात पर जोर देना उचित ही है कि बासल-II के ढांचे को लागू करने में किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, बाहरी दबावों द्वारा बंधन में डाले बिना, एक उपयुक्त पथ अपनाने और लागू करने की आजादी या छूट तथा लचीलापन प्रदान किया जाए। इस प्रकार के जटिल कार्य के प्रबंधन का आदर्श समाधान केंद्रीय बैंकों के बीच परस्पर सहयोग और सहायता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

वित्तीय मध्यस्थन में असमानता के खतरे

बासल-II लागू करने के बाद ऐसा परिदृश्य खड़ा हो सकने की संभावना है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र के परस्पर प्रतिस्पर्धी व्यापक घटकों जैसे, बैंकिंग, प्रतिभूति और बीमा क्षेत्रों के बीच विनियामक व्यवस्था में असमानता विद्यमान हो। जहां वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र के शीघ्र ही बासल-II की व्यवस्था की ओर बढ़ जाने की आशा है, अन्य घटकों में उसी प्रकार का या उतना ही अनुशासन लागू होने की संभावना नहीं है जबतक कि वे भी बैंकिंग समूह के एक भाग न हों, जहां बासल-II की व्यवस्था मूल (पैतृक) बैंक के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लागू होगी। अतः जब तक इन घटकों के विनियामक भी इन घटकों के लिए एक तुलनीय (समान) निर्धारण की आवश्यकता और प्रासंगिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, इन तीनों व्यापक घटकों के बीच विनियामक अंतरपणन (विवाचन) की जरूरत है। इन घटकों

के संयुक्त मंच ने इस दिशा में कुछ पहलें की हैं, जिन्हें इन तीनों क्षेत्रों में विनियामक भार के स्तर में एक समानता प्राप्त करने के लिए और आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि ये घटक वित्तीय मध्यस्थन के कारोबार के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं।

बासल-II तथा सामाजिक आयाम

बासल-II के अनुपालन के लिए तीहरे पथ वाली बात जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, बैंकिंग प्रणाली के अंदर भी विनियामक अंतरपणन (विवाचन) के उभरने का अवसर दे सकती है। तथापि भारतीय संदर्भ में यह किसी बड़ी चिंता का कारण नहीं होगा क्योंकि गैर बासल-II वाली संस्थाओं का आकार और सर्वांगीर्ण परिदृश्य में उनकी प्रासंगिकता तुलनात्मक रूप से नगण्य है। यहां इच्छा यही होगी कि विनियामक विवाचन की संभावना को कम किया जाए हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह इच्छा गैर बासल-II वाली संस्थाओं पर अपनी-अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में अपनी-अपनी विशिष्ट भूमिका, अर्थात् और ज्यादा वित्तीय समावेशन प्राप्त करने, विकासात्मक भूमिका अदा करने तथा उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण सुर्पुदगी का माध्यम बनने की भूमिका का निर्वाह करने में बाधा खड़ी नहीं करें । मेरा विचार है कि बासल-II लागू करने के लिए बहु आयामी पथ, तथा उसके परिणामस्वरूप विनियामक अंतरपणन को निभाना तथा स्थिरता संबंधी मुद्दे, इसी प्रकार की अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भी उभरे होंगे।

बासल II के अनुपालन के लिए भावी पथ का दृष्टिकोण

हमारे द्वारा अर्जित अनुभव के संदर्भ में, यह लगता है कि इसमें बेहतर स्थिति को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बैंकों /बैंकिंग क्षेत्र के विनियामकों को बासल-II के ढांचे को उनकी अपनी गति तथा उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाओं, बैंकिंग प्रणालियों तथा पर्यवेक्षी प्रणाली तंत्रों के अनुरूप लागू करने के लिए प्रेरित करना होगा। यह भी संभव है कि बहुपक्षीय विकास एजेंसियों को बासल-II को लागू करने में सहायता करने के लिए अभी भी पूर्णतः तैयार होना बाकी हो। आदर्शतः प्रत्येक देश अपने देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक लचीले रूप में इसे लागू करने का भावी पथ तैयार कर सकता है। आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलगु में हम कहते हैं - समयं, संदर्भं मुख्यम्। इसका अर्थ है - किसी भी चीज के लिए समय और संदर्भ महत्वपूर्ण होते हैं और मेरे विचार में यह एशिया में बासल-II लागू करने पर भी लागू होता है।